कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

क्रमांक: F-37/Dir(P)/LOP/2012/ दिनांक :–

ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 13.04.2012 का कार्यवाही विवरण

आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित ले–आऊट प्लान समिति की बैठक दिनांक 13.04.2012 को मध्यान्ह 3.00 बजे उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्यो/अधिकारियो ने भाग लिया :–

1.	श्री हरजीलाल अटल, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य
2.	श्री जी.एस. रावल, निदेशक (अभि.), जोधपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य
3.	श्रीमती सीमा कविया, उपायुक्त (पूर्व),जोधपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य
4.	श्री महेन्द्र सिंह, उपायुक्त (पश्चिम), जोधपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य
5.	डॉ. शशि शर्मा, उपायुक्त (उत्तर), जोधपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य
6.	श्री भागीरथ बिश्नोई, उपायुक्त (दक्षिण), जोधपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य
7.	श्री रामलाल सियाग, अद्यीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य
8.	श्री के.एल. चौहान, अधिशाषी अभियन्ता (दक्षिण), जो. वि. प्रा.	सदस्य
9.	श्री पी.आर. बेनीवाल, उप नगर नियोजक, जो. वि. प्रा.	सदस्य
10.	श्री एस.एल. सेठी, निदेशक (आयोजना), जो. वि. प्रा.	सदस्य सचिव

सर्व प्रथम गत बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करते हुए प्रकरणो के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही पर विचार–विमर्श किया गया।

आयुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आयोजना शाखा को परीक्षण हेतु भेजे जाने वाली पत्रावलियो में ले–आऊट प्लान का तकनीकी विश्लेषण उप नगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक द्वारा कर पत्रावली बिना निदेशक (आयोजना) की स्वीकृति के, सीधे ही ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष विचारार्थ रख दी जाती है एवं उक्त अधिकारियो द्वारा प्रश्नगत स्थल की मौका रिपोर्ट, एप्रोच की स्थिति इत्यादि भी स्पष्ट नही की जाती हैं, जो उचित नही है। अतः आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि भविष्य में ले–आऊट प्लान समिति के समक्ष प्रस्तुत होने वाले प्रकरणो को सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक द्वारा मौका निरीक्षण, तकनीकी जाँच, क्षेत्र विश्लेषण, जाँच प्रपत्र भरकर, हस्ताक्षर उपरान्त निदेशक (आयोजना) की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावे।

तत्पश्चात् समिति के समक्ष निम्नलिखित ले–आऊट प्लान प्रस्तुत किये गये एवं समिति द्वारा उन पर विचार–विमर्श कर उनके आगे अंकितानुसार निर्णय लिए गये :–

1. **राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 42 की रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संशोधित ले–आऊट प्लान अनुमोदन।**
   आवेदक :–श्री विशनाराम पुत्र श्री ओमप्रकाश
   प्रकरण संख्या :– 56/11

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 42 की रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर आगंणवा–सुरपुरा सड़क के पश्चिम में स्थित हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का उप नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया हैं, जिसमें संशोधन करते हुए ले–आऊट प्लान स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई हैं।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर आगंणवा–सुरपुरा सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट के स्थान पर 80 फीट किये जाने हेतु सड़क की मध्य रेखा से 40 फीट भूमि छोड़ने के उपरान्त ले–आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुॅच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ, पहुँच मार्ग आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

2. **राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 193/1 की रकबा 6 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन। आवेदक :– श्री भुण्डाराम पुत्र श्री मोहनलाल एवं श्री भगवान पुत्र श्री मोहनलाल।**
   प्रकरण संख्या :– 19/11

राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 193/1 की रकबा 6 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में होकर जयपुर–जैसलमेर बाईपास सड़क के दक्षिण दिशा में अन्दर की तरफ स्थित है। उक्त आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित समीपीय भूमियो पर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये हैं तथा पूर्व स्वीकृति के अनुसार आवेदित भूमि के लिए 40' चौड़ी सड़क से एप्रोच उपलब्ध होती हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा

तकनीकी परीक्षण तकनीकी परीक्षण किया गया। उक्त योजना का क्षैत्रफल 2 हैक्टेयर से कम होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियो एवं अल्प आय वाले वर्ग के व्यक्तियो के लिये भूखण्डो का आरक्षण नहीं किया गया हैं।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

प्रश्नगत भूमि की पत्रावली व ले–आऊट प्लान के अवलोकन से समिति द्वारा पाया गया की प्रार्थी की भूमि के पूर्व दिशा में नाला स्थित हैं, जिसके सहारे–सहारे प्रार्थी ने पार्क प्रस्तावित किया है। अतः समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि योजना में सम्मिलित खसरो की बाढ़ से सुरक्षा हेतु आवेदक को नाले के सहारे–सहारे रीटेनिंग वाल का निर्माण करना होगा तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध करने होंगे। योजना क्षेत्र की बाढ़ से सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी। साथ ही नाले के सहारे–सहारे प्रस्तावित पार्क में सघन वृक्षारोपण करने की शर्त पर ले–आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

3. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 253/2 व 253/3 रकबा 5 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– मधुकर प्रोपर्टी प्राईवेट लिमिटेड
प्रकरण संख्या :–

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि का मौका निरीक्षण उनके द्वारा नही किया गया है। अतः समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर उपायुक्त को मौका निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया। मौका निरीक्षण उपरान्त पत्रावली का जोन स्तरीय समिति में परीक्षण कर प्रकरण आगामी ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति में रखे जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

4. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 352/4 से 352/9 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक श्री अबुबक वगैराह
प्रकरण संख्या :– 53/11

राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 352/4 से 352/9 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में में स्थित हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का उप नगर नियोजक तथा सहायक नगर

नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण तकनीकी परीक्षण किया गया है, जिसमें संशोधन करते हुए ले–आऊट प्लान स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई हैं। उक्त योजना का क्षैत्रफल 2 हैक्टेयर से कम होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियो एवं अल्प आय वाले वर्ग के व्यक्तियो के लिये भूखण्डो का आरक्षण नही किया गया हैं।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर उप नगर नियोजक तथा सहायक नगर नियोजक द्वारा किये गये संशोधनो के अनुसार ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें प्रश्नगत भूमि के पूर्व मे प्रस्तावित 60′ व उत्तर में प्रस्तावित 40′ चौड़ी सड़को की मौके पर उपलब्धता सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा सुनिश्चित की जावे। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुॅच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

5. राजस्व ग्राम आगंणवा के खसरा नम्बर 30 की रकबा 39 बीघा 8 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन
आवेदक :– श्रीमती दरिया कंवर
प्रकरण संख्या 645/11

राजस्व ग्राम आगंणवा के खसरा नम्बर 30 की रकबा 39 बीघा 8 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र स्थित हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान के सम्बन्ध में उप नगर नियोजक एवं सहायक नगर नियोजक से तकनीकी परीक्षण करवाया गया, जिसमें संशोधन करते हुए ले–आऊट प्लान स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई हैं। उक्त योजना का क्षैत्रफल 2 हैक्टेयर से अधिक होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियो एवं अल्प आय वर्ग के व्यक्तियो के लिये भूखण्डो का आरक्षण किया गया हैं।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया। समिति द्वारा संशोधित ले–आऊट प्लान का अवलोकन कर उप नगर नियोजक एवं सहायक नगर नियोजक द्वारा किये गये संशोधनो के अनुसार ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें

21

आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियो एवं अल्प आय वर्ग के व्यक्तियो के लिये भूखण्डो के आकार की जॉच कर नियमानुसार पाये जाने पर ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। योजना क्षेत्र में प्रस्तावित 60' चौड़ी सड़क से अन्य सामुदायिक सुविधाओ हेतु प्रस्तावित स्थल तक की सड़क को 40' प्रस्तावित किया जावे। योजना में प्रस्तावित आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियो एवं अल्प आय वर्ग के व्यक्तियो के भूखण्डो का निस्तारण नियमानुसार व निर्धारित प्रक्रिया के अनसुार किया जाना होगा। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा पट्टे जारी करने से पूर्व खातेदार से शपथ पत्र लिया जाना सुनिश्चित करना होगा। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

6. राजस्व ग्राम दईजर के खसरा नम्बर 277/1 व 285/6 की रकबा 10 बीघा भूमि का फार्महाऊस प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– राजकुमार वगैराह।
प्रकरण संख्या :– 815/12

राजस्व ग्राम दईजर के खसरा नम्बर 277/1 व 285/6 की रकबा 10 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाऊस प्रस्तावित की गयी हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक–प. 10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में फार्म हाऊस अनुज्ञेय हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का उप नगर नियोजक तथा सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर योजना मानचित्र के पश्चिमी सीमा पर प्रस्तावित 30' सड़क को 40' तथा पूर्वी सीमा पर अन्य सामुदायिक सुविधाओ हेतु आरक्षित स्थल के पश्चात् प्रस्तावित 30' चौड़ी सड़क को 40' चौड़ी दर्शाते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त कर उक्तानुसार ले–आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक फार्म हाऊस का न्यूनतम क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर रखा जाना होगा तथा भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर जो भी कम हो, आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड में प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 6

मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

7. राजस्व ग्राम नान्दड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 135/1 की रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी एवं खसरा नम्बर 139 की रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :–श्री ओगड़राम, श्री नेमाराम
प्रकरण संख्या :– 228/08

राजस्व ग्राम नान्दड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 135/1 की रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी एवं खसरा नम्बर 139 की रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिसका राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक क्रमांक 113, दिनांक 22.10.2010 में आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया गया हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की पूर्व बैठक में उक्त आराजियात की भूमि का ले–आऊट प्लान रखा जाकर राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी – 2010 के प्रावधानानुसार अनुमोदित किया गया था। प्रार्थी ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त भूमि की 90 बी के नोटिस दिनांक 28.06.2010 से पूर्व जारी होना बताते हुए उक्त भूमि का ले–आऊट प्लान टाऊनशिप पॉलिसी–2002 के तहत अनुमोदित किये जाने हेतु निवेदन किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का उप नगर नियोजक तथा सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण तकनीकी परीक्षण किया गया है, जिसमें संशोधन करते हुए ले–आऊट प्लान स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई हैं। उक्त आराजियात की भूमि पर सोडेर सड़क से एप्रोच उपलब्ध होती हैं, जिसका मार्गाधिकार राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा 100' निर्धारित किया गया है। उक्त योजना का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से अधिक होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियो एवं अल्प आय वाले वर्ग के व्यक्तियो के लिये भूखण्डो का आरक्षण किया गया हैं, जिनका निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशो के अनुरूप किया जाना है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–बी के तहत नोटिस दिनांक 28.06.2010 से पूर्व जारी किये जा चुके है। आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी–2010 (10 हैक्टेयर तक) के बिन्दु संख्या 2 (2) के प्रावधानो के अनुसार टाऊनशिप पॉलिसी–2002 के प्रावधानो के अनुरूप अनुमोदन योग्य है। समिति द्वारा योजना मानचित्र में

अन्य सामुदायिक सुविधाओ हेतु आरक्षित स्थल को 60' चौड़ी सड़क पर दर्शाते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त कर उक्तानुसार ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

8. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 356/1 की रकबा 3 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :-श्रीमती छगनी देवी वगैराह।
प्रकरण संख्या :- 32/11

राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 356/1 की रकबा 3 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का उप नगर नियोजक तथा सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

आवेदित भूमि का संयुक्त स्थल निरीक्षण उपायुक्त, उप नगर नियोजक तथा अधिशाषी अभियन्ता द्वारा किया गया है। अधिशाषी अभियन्ता की रिपोर्ट के अनुसार योजना क्षेत्र से होकर एक विद्युत लाईन गुजर रही है, जिसके नीचे 60' चौड़ी सड़क प्रस्तावित किया जाना आवश्यक है। अतः समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि मास्टर प्लान में प्रस्तावित 100' चौड़ी सड़क के मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि निःशुल्क समर्पित करते हुए विद्युत हाईटेशन के नीचे प्रस्तावित 50' चौड़ी सड़क के स्थान पर न्यूनतम 60' चौड़ी सड़क प्रस्तावित की जावे, ताकि हाईटेन्शन लाईन के दोनो ओर पर्याप्त दूरी रह सके। इसके साथ-साथ इस प्रस्तावित सड़क के सहारे-सहारे स्थित भूखण्डों पर पर्याप्त सेटबैक्स रखे जावे, ताकि विद्युत लाईन से किसी प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना नहीं हो। साथ ही भूखण्ड संख्या 1 व 18 हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त भूखण्ड स्वीकृत नहीं किये जावें व इनकी भूमि खुली छोड़ी जावे। उक्तानुसार संशोधित मानचित्र प्राप्त कर ले-आऊट प्लान जारी करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

9. राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा नम्बर 97/1 की रकबा 15 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री मदनलाल वगैराह।
प्रकरण संख्या :- 94/11

राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा नम्बर 97/1 की रकबा 15 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का उप नगर नियोजक तथा सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

पत्रावली के अवलोकन से समिति द्वारा पाया गया कि प्रार्थी की भूमि का तरमीम मानचित्र उपलब्ध नही हैं एवं आवेदित भूमि पर पहूॅच मार्ग की स्थिति भी स्पष्ट नही होती है। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि का तरमीम मानचित्र प्राप्त किया जावे एवं पहूॅच मार्ग की स्थिति स्पष्ट होने के उपरान्त ही प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की आगामी बैठक में रखा जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

10. राजस्व ग्राम भदवासिया के खसरा नम्बर 75/1 की रकबा 2 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- गोपीकिशन
प्रकरण संख्या :- 115/11

राजस्व ग्राम भदवासिया के खसरा नम्बर 75/1 की रकबा 2 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का उप नगर नियोजक तथा सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। आवेदित भूमि तक पहुँच मार्ग की चौड़ाई 30′ दर्शाई गई हैं, जो अपर्याप्त है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

9. राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा नम्बर 97/1 की रकबा 15 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्री मदनलाल वगैराह।
प्रकरण संख्या :– 94/11

राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा नम्बर 97/1 की रकबा 15 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का उप नगर नियोजक तथा सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

पत्रावली के अवलोकन से समिति द्वारा पाया गया कि प्रार्थी की भूमि का तरमीम मानचित्र उपलब्ध नही हैं एवं आवेदित भूमि पर पहुँच मार्ग की स्थिति भी स्पष्ट नही होती है। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि का तरमीम मानचित्र प्राप्त किया जावे एवं पहुँच मार्ग की स्थिति स्पष्ट होने के उपरान्त ही प्रकरण ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की आगामी बैठक में रखा जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

10. राजस्व ग्राम भदवासिया के खसरा नम्बर 75/1 की रकबा 2 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– गोपीकिशन
प्रकरण संख्या :– 115/11

राजस्व ग्राम भदवासिया के खसरा नम्बर 75/1 की रकबा 2 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का उप नगर नियोजक तथा सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। आवेदित भूमि तक पहुँच मार्ग की चौड़ाई 30' दर्शाई गई हैं, जो अपर्याप्त है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि राजस्व ग्राम भदवासिया के खसरा नम्बर 75 में से होकर एक नाला गुजरता हैं, इस हेतु प्रकरण राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है। प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 75 का बट्टा ही है। अतः राज्य सरकार से दिशा–निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त ही आगामी कार्यवाही किया जाना उचित होगा। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर राज्य सरकार से दिशा–निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त ही आगामी कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में राज्य सरकार को पुनः पत्र प्रेषित किया जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

11. राजस्व ग्राम मोकलावास के खसरा नम्बर 277/1, 313/1 व 313/2 की रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा भूमि का फार्महाऊस प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्री रामनिवास वगैराह।
प्रकरण संख्या :– 51/11

राजस्व ग्राम मोकलावास के खसरा नम्बर 277/1, 313/1 व 313/2 की रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार नगरीय क्षेत्र से बाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाऊस प्रस्तावित किए गये हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक–प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में फार्म हाऊस अनुज्ञेय हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का उप नगर नियोजक तथा सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

प्रश्नगत भूमि के ले–आऊट प्लान के अवलोकन से समिति द्वारा पाया गया की प्रार्थी द्वारा राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधानो के अनुसार अन्य सामुदायिक सुविधाओ हेतु आरक्षित स्थ्ल योजना के दक्षिणी भाग में पीछे की तरफ प्रस्तावित किया गया है। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर निर्णय किया गया कि योजना मानचित्र के उत्तर–पश्चिमी दिशा में प्रस्तावित 100' चौड़ी सड़क के सहारे–सहारे अन्य सामुदायिक सुविधाओ हेतु स्थल स्थान्तरित करते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त कर ले–आऊट प्लान अनुमोदित किया जावे। मोकलावास सड़क का मार्गाधिकार 100' रखा जाना होगा। प्रत्येक फार्म हाऊस का न्यूनतम क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर रखा जाना होगा तथा भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर जो भी कम हो, आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड में प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि

का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

12. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 322/2 मी. की रकबा 5 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्रीमती गैकूदेवी वगैराह
प्रकरण संख्या :– 234/2010

राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 322/2 मी. की रकबा 5 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार सरकारी एवं अर्द्धसरकारी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिसका प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 21.05.2010 में आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया गया हैं। उक्त प्रकरण ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 07.04.2011 में रखा जाकर भू–उपयोग परिवर्तन आदेश जारी होने के पश्चात् ले–आऊट प्लान जारी करने की शर्त पर स्वीकृत किया गया था।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि चूकिं उक्त प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन आदेश की अधिसूचना दिनांक 06.12.2010 को जारी की जा चुकी है, अतः ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 07.04.2011 के निर्णयानुसार ले–आऊट प्लान अनुमोदित किया जावे। पट्‌टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

13. राजस्व ग्राम नान्दड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 101/3 की रकबा 2 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
प्रकरण संख्या :– 61/2011

राजस्व ग्राम नान्दड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 101/3 की रकबा 2 बीधा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। आवेदित भूमि की समीपीय भूमियो के ले–आऊट प्लान इस कार्यालय द्वारा पूर्व में अनुमोदित किये गये हैं, जिनमें प्रस्तावित सड़को से आवेदित भूमि को एप्रोच उपलब्ध होती है। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान के सम्बन्ध में वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा तकनीकी परीक्षण कर ले–आऊट प्लान स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई हैं।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का

21

स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रश्नगत भूमि पर राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा नम्बर 270/1 की भूमि में से 40' चौड़ी सड़क से एप्रोच उपलब्ध होती है। राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा नम्बर 270/1 की भूमि का योजना मानचित्र जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित किया गया है।

समिति द्वारा प्रार्थी को सुना जाकर एवं प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा नम्बर 270/1 से आवेदित भूमि को उपलब्ध होने वाली एप्रोच सड़क को पूर्व से पश्चिम की तरफ सीधा प्रस्तावित किया जावे, ताकि उक्त क्षेत्र में एक बेहतर सड़क प्रतिरूप विकसित हो सके। प्रार्थी से समिति के निर्णयानुसार नवीन मानचित्र प्राप्त करने के उपरान्त तकनीकी विश्लेषण कर राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा नम्बर 270/1 में प्रावधानित 40' चौड़ी सड़क को यथावत आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान में 40' प्रावधानिक करते हुए मानचित्र स्वीकृत किया जावे तथा सुविधा क्षेत्र को 40' चौड़ी सड़क पर प्रस्तावित किया जावे। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

14. राजस्व ग्राम नान्दड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 101 की रकबा 6 बीधा 02 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्री भैराराम पुत्र श्री बस्ताराम
प्रकरण संख्या :– 225/10

राजस्व ग्राम नान्दड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 101 की रकबा 6 बीधा 02 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। आवेदित भूमि की समीपीय भूमियो के ले–आऊट प्लान इस कार्यालय द्वारा पूर्व में अनुमोदित किये गये हैं, जिनमें प्रस्तावित सड़को से आवेदित भूमि को एप्रोच उपलब्ध होती है। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान के सम्बन्ध में वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण कर ले–आऊट प्लान स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई हैं।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

उक्त प्रकरण पूर्व में ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18.04.2011 एवं दिनांक 20.10.2010 में प्रस्तुत किया गया था। उक्त बैठको में समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर पूर्व में ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18.04.2011 मे लिये गये निर्णयानुसार प्रश्नगत भूमि पर आवश्यक न्यूनतम एप्रोच सड़क उपलब्ध नही होने के कारण इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया एवं तदोपरान्त प्रकरण आगामी ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रश्नगत भूमि पर राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा नम्बर 270/1 की भूमि में से 40' चौड़ी सड़क से एप्रोच उपलब्ध होती है। राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा नम्बर 270/1 की भूमि का योजना मानचित्र जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित किया गया है। अतः प्रकरण विचारार्थ पुनः ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष रखा जावे।

प्रश्नगत भूमि की समीपीय राजस्व ग्राम नान्दड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 101/3 की भूमि का ले–आऊट प्लान समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं, जिसमें से प्रावधानित सड़को से आवेदित भूमि को एप्रोच उपलब्ध होती है। अतः समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर एवं प्रार्थी को सुना जाकर निर्णय लिया गया कि राजस्व ग्राम नान्दड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 101/3 की भूमि में से आवेदित भूमि को उपलब्ध होने वाली एप्रोच सड़क को पूर्व से पश्चिम की तरफ सीधा प्रस्तावित किया जावे, ताकि उक्त क्षेत्र में एक बेहतर सड़क प्रतिरूप विकसित हो सके। प्रार्थी से समिति के निर्णयानुसार नवीन मानचित्र प्राप्त करने के उपरान्त तकनीकी विश्लेषण कर राजस्व ग्राम नान्दड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 101/3 के योजना मानचित्र में प्रावधानित 40' चौड़ी सड़क को यथावत आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान में प्रावधानिक करते हुए मानचित्र जारी किया जावे। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

15. राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा नम्बर 186, 186/3, 183, 186/1 व 183/2 की रकबा 38 बीघा 13 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्री रतनाराम वगैराह।
प्रकरण संख्या :– 19/2011

राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा नम्बर 186, 186/3, 183, 186/1 व 183/2 की रकबा 38 बीघा 13 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिसका राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक क्रमांक 104, दिनांक 27.05.2010 में आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया गया हैं।

21

प्रेषित ले–आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का उप नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त योजना का क्षैत्रफल 2 हैक्टेयर से अधिक होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियो एवं अल्प आय वर्ग के व्यक्तियो के लिये भूखण्डो का आरक्षण किया गया है, जिनका निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशो के अनुरूप किया जाना है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं, योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन के आदेश जारी नही हैं, अतः प्रथमतः भू–उपयोग परिवर्तन के आदेशो जारी करावे, तत्पश्चात् जोन स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण कर प्रकरण आगामी ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति में रखा जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

16. राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 197, 1898/197 की रकबा 15 बीघा 01 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
प्रार्थी :– श्री कानाराम वगैराह।
प्रकरण संख्या 534/11

राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 197, 1898/197 की रकबा 15 बीघा 01 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। आवेदित भूमि के पश्चिमी भाग में से होकर मास्टर प्लान में प्रस्तावित 80′ चौड़ी सड़क गुजर रही है। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का उप नगर नियोजक तथा सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त योजना का क्षैत्रफल 2 हैक्टेयर से अधिक होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियो एवं अल्प आय वाले वर्ग के व्यक्तियो के लिये भूखण्डों का आरक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है, योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं।

प्रार्थी ने समिति के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया कि योजना मानचित्र में विद्यालय प्रयोजनार्थ आरक्षित स्थल के स्थान पर अन्य सामुदायिक सुविधाओ हेतु स्थल आरक्षित किया जावे। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर उप नगर नियोजक द्वारा किये गये संशोधनो के अनुसार ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें प्रश्नगत

21

भूमि के उत्तर–पूर्वी भाग मे प्रस्तावित विद्यालय को अन्य सामुदायिक सुविधा प्रयोजनार्थ आरक्षित किया जावे। पार्क के सामने सड़क के स्थान पर दर्शाये गये भूखण्ड संख्या 49 ए एवं 64 ए तथा 10' के रास्ते को हटाकर उक्त सड़क को 40' चौड़ा करते हुए पुनः योजना मानचित्र के दक्षिणी भाग में प्रस्तावित 40' चौड़ी सड़क से लिंक किया जावे, ताकि सड़को की निरन्तरता बनी रहे व सड़के बन्द नही हो व सुविधा क्षेत्र को 40' चौड़ी सड़क की उपलब्धता हो सके। मास्टर प्लान में प्रस्तावित 80' चौड़ी सड़क के मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि निःशुल्क प्राधिकरण के पक्ष मे समर्पित की जावे। उक्त योजना का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से अधिक होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियो एवं अल्प आय वाले वर्ग के व्यक्तियो के लिये भूखण्डों का आरक्षण किया गया है, जिनका क्षेत्रफल राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुरूप होने की सुनिश्चितता की जावे एवं तदानुसार संशोधित ले–आऊट प्लान प्राप्त कर तकनीकी परीक्षण कर ले–आऊट प्लान स्वीकृत किया जावे। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

17. राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 336 की रकबा 10.12 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
प्रार्थी :– श्री गोपाराम वगैराह।
प्रकरण संख्या :– 1107/12

राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 336 की रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर आंगणवा–भोपालगढ़ सड़क के दक्षिण में स्थित है। प्रस्तावित भूमि के पश्चिमी भाग में से होकर विद्युत हाईटेशन लाईन गुजर रही है। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का उप नगर नियोजक तथा सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त योजना का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से कम होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियो एवं अल्प आय वाले वर्ग के व्यक्तियों के लिये भूखण्डों का आरक्षण नहीं किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं, योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। भूमि मौके पर रिक्त है।

उप नगर नियोजक द्वारा अवगत करवाया गया कि पूर्व में भोपालगढ़–आगंणवा सड़क का मार्गाधिकार 150' रखा जाकर ले–आऊट प्लान अनुमोदित किये जाते रहे है, अतः उक्त सड़क का मार्गाधिकार 150' रखे जाने हेतु सड़क की मध्य रेखा से दोनो तरफ 75' भूमि छोड़ी जानी

आवश्यक हैं। प्रश्नगत भूमि के पश्चिमी भाग से होकर विद्युत हाईटेंशन लाईन भी गुजर रही हैं, अतः विद्युत हाईटेन्शन लाईन के नीचे न्यूनतम 60′ चौड़ी सड़क प्रस्तावित की जावे, ताकि हाईटेन्शन लाईन के दोनो ओर पर्याप्त दूरी रह सके। इसके साथ–साथ विद्युत लाईन के नीचे प्रस्तावित 60′ चौड़ी सड़क के सहारे–सहारे स्थित भूखण्डों पर पर्याप्त सेटबैक्स रखे जावे, ताकि विद्युत लाईन से किसी प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना नहीं हो।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर उप नगर नियोजक द्वारा किये गये संशोधनो के अनुसार ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

18. राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा नम्बर 270 की रकबा 5 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्रीमती धापूदेवी वगैराह।
प्रकरण संख्या :– 7/11

राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा नम्बर 270 की रकबा 5 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का उप नगर नियोजक तथा सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

उप नगर नियोजक द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की समीपीय भूमियो के ले–आऊट प्लान इस कार्यालय द्वारा पूर्व में अनुमोदित किये गये हैं, जिनमें प्रस्तावित सड़को से आवेदित भूमि को एप्रोच उपलब्ध होती है। समिति प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर सम्बन्धित उपायुक्त को समीपीय भूमियो के स्वीकृत मानचित्रो की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि सम्बन्धित उपायुक्त एवं उप नगर नियोजक, सहायक नगर नियोजक उक्त भूमि का मौका निरीक्षण कर समीपीय भूमि के रास्तो की निरन्तरता की सुनिश्चितता करने के उपरान्त प्रकरण ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की आगामी बैठक में रखा जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

19. राजस्व ग्राम डोली के खसरा नम्बर 637/2, 638, 646, 648, 649/1 व 681 की रकबा 67 बीघा 1 बिस्वा भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- डोली एन्टरप्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड जरिये महेन्द्र जालानी।
प्रकरण संख्या :- 33/11

राजस्व ग्राम डोली के खसरा नम्बर 637/2, 638, 646, 648, 649/1 व 681 की रकबा 67 बीघा 1 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार नगरीय क्षेत्र से बाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाऊस प्रस्तावित किए गये हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक-प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में फार्म हाऊस अनुज्ञेय हैं। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का उप नगर नियोजक तथा सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं, योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं। मौके पर भूमि रिक्त हैं।

प्रश्नगत भूमि के ले-आऊट प्लान के अवलोकन से समिति द्वारा पाया गया की प्रार्थी द्वारा राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधानो के अनुसार सुविधा क्षेत्र हेतु छोड़ी जाने वाली भूमि पर क्लब हाऊस प्रस्तावित किया है। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर उप नगर नियोजक द्वारा किये गये संशोधनो के अनुसार ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें क्लब हाऊस के स्थान पर सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा। प्रत्येक फार्म हाऊस का न्यूनतम क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर रखा जाना होगा तथा भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर जो भी कम हो, आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड में प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

20. राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा नम्बर 185 की रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्रीमती प्रियन्का सन्धीर
प्रकरण संख्या 264/11

राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा नम्बर 185 की रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। आवेदित भूमि की समीपीय भूमियो के ले-आऊट प्लान इस कार्यालय द्वारा पूर्व में अनुमोदित किये गये हैं, जिनमें प्रस्तावित

सड़को से आवेदित भूमि को एप्रोच उपलब्ध होती है। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण सहायक नगर नियोजक द्वारा किया गया है। उक्त प्रकरण ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 19.05.2011 में विचारार्थ रखा गया था, जिसमें प्रश्नगत भूमि के ले–आऊट प्लान पर एप्रोच सड़क 30′ के स्थान पर 40′ चौड़ी उपलब्ध करवाने हेतु वैकल्पिक समाधान हेतु निर्देशित किया गया।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

प्रार्थी द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त प्रश्नगत भूमि पर समीपीय भूमि, जिनका ले–आऊट प्लान समिति द्वारा पूर्व में अनुमोदित किया गया था, में अंकित 50′ चौड़ी सड़क एप्रोच हेतु उपलब्ध होती है। समिति द्वारा प्रार्थी को सुना जाकर एवं प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर ले–आऊट प्लान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

21. राजस्व ग्राम नान्दड़ी के खसरा नम्बर 94 की रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– जसवन्त सिंह
प्रकरण संख्या 9 / 2011

राजस्व ग्राम नान्दड़ी के खसरा नम्बर 94 की रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। आवेदित भूमि की समीपीय भूमियो के ले–आऊट प्लान इस कार्यालय द्वारा पूर्व में अनुमोदित किये गये हैं, जिनमें प्रस्तावित सड़को से आवेदित भूमि को एप्रोच उपलब्ध होती है। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण तत्कालीन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया तथा उप नगर नियोजक द्वारा ले–आऊट प्लान स्वीकृति की अनुशंषा की गई है। उक्त प्रकरण ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 26.05.2011 में विचारार्थ रखा गया था, जिसमें प्रश्नगत भूमि के ले–आऊट प्लान पर एप्रोच सड़क 30′ के स्थान पर 40′ चौड़ी उपलब्धता हेतु आस–पास की मौका रिपोर्ट हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 28.07.2011 में गार्ड पत्रावली से

सम्बन्धित मानचित्र व सड़क की स्थिति स्पष्ट कर बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

प्रार्थी द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त प्रश्नगत भूमि की समीपीय भूमियों, जिनका ले–आऊट प्लान समिति द्वारा पूर्व में अनुमोदित किया गया था, में अंकित सड़को से 40' चौड़ी सड़क एप्रोच हेतु उपलब्ध होती है। इस सम्बन्ध में उपायुक्त एवं उप नगर नियोजक की रिपोर्ट भी आ चुकी हैं, जिसमें अनुसार प्रश्नगत भूमि को मौके पर 40' सड़क उपलब्ध है। समिति द्वारा प्रार्थी को सुना जाकर एवं प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर प्रश्नगत भूमि का ले–आऊट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

22. राजस्व ग्राम तिवरी के खसरा नम्बर 32/5 की रकबा 9 बीघा भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्री चेलाराम, श्री पुराराम, श्री जमाराम वगैराह।
प्रकरण संख्या :– 319/10

राजस्व ग्राम तिवरी के खसरा नम्बर 32/5 की रकबा 9 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार नगरीय क्षेत्र से बाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाऊस प्रस्तावित किए गये हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक–प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में फार्म हाऊस अनुज्ञेय हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का उप नगर नियोजक तथा सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं, योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नही है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं। मौके पर 8–10 मकान बने हुए हैं, जिनको हटाये जाने के पश्चात् ही अनुमति दी जानी प्रस्तावित है।

प्रश्नगत भूमि के ले–आऊट प्लान के अवलोकन से समिति द्वारा पाया गया कि प्रार्थी की भूमि के दक्षिणी भाग में पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ विद्युत हाईटेंशन लाईन विद्यमान है, जिसके दोनो तरफ नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी छोड़े जाते हुए ही भवन निर्माण अनुज्ञेय है। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर सहायक नगर नियोजक द्वारा किये गये संशोधनो के अनुसार ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें विद्युत हाईटेशंन लाईन के दोनो तरफ नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी छोड़ते हुए निर्माण अनुज्ञेय होगा एवं प्रत्येक फार्म हाऊस पर अनुज्ञेय निर्माण से अतिरिक्त निर्माण को पट्टा जारी करने से पूर्व प्रार्थी को हटाना होगा। जोधपुर–ओंसिया मार्ग का मार्गाधिकार 200′ रखे जाने हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 100′ भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी तथा सड़क का मार्गाधिकार छोड़ने के उपरान्त सड़क के दोनो ओर 100′–100′ भूमि वृक्षारोपण पट्टी हेतु छोड़ी जानी होगी। प्रत्येक फार्म हाऊस का न्यूनतम क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर रखा जाना होगा तथा भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर जो भी कम हो, आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। जोधपुर–ओंसिया सड़क का मागाधिकार छोड़े जाने के उपरान्त भूखण्डो में फार्म हाऊस हेतु न्यूनतम अनुज्ञेय क्षेत्रफल प्राप्त नही होता हैं, अतः प्रार्थी से नियमानुसार संशोधित ले–आऊट प्लान प्राप्त कर स्वीकृति जारी की जावे। इसके अतिरिक्त भूखण्ड में प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

23. राजस्व ग्राम दईजर के खसरा नम्बर 1, 1/1 व 1/2 की रकबा 35 बीघा 16 बिस्वा 5 बिस्वांसी भूमि का फार्महाऊस प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्री कचरूराम, श्री राम पाल वगैराह।
प्रकरण संख्या :– 246/10

उक्त प्रकरण पूर्व में ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18.04.2011, दिनांक 20.10.2011 व दिनांक 14.03.2012 में प्रस्तुत किया गया। समिति की बैठक दिनांक 14.03.2012 में निर्णय लिया कि राज्य सरकार से मार्गदर्शन लिया जावे कि मथानिया से ओंसिया जाने वाली सड़क का मार्गाधिकार क्या रखा जाना हैं ? साथ ही अद्यीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग से इस बाबत् जानकारी ली जावे कि वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस सड़क का मार्गाधिकार क्या प्रस्तावित किया गया हैं।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि उक्त सड़क को राज्य राजमार्ग घोषित किया जा चुका हैं। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की गई है। अतः समिति द्वारा विचार–विमर्श कर मास्टर प्लान के प्रस्तावानुसार मथानिया से ओंसिया जाने वाली सड़क (राज्य राजमार्ग) का मार्गाधिकार 200′ रखे जाने हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 100′ भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित की जानी

21

होग़ी तथा सड़क का मार्गाधिकार छोड़ने के उपरान्त सड़क के दोनो ओर 100'–100' भूमि वृक्षारोपण पट्टी हेतु छोड़ी जाकर ले-–आऊट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

24. राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नम्बर 125 के सम्बन्ध में।

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(3)नविवि/3/2010, जयपुर, दिनांक 01.02.2010 के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में बसी हुई कोलोनियो के पट्टे जारी करने में आ रही समस्याओ के निराकरण के सम्बन्ध में दिनांक 17.06.1999 के पूर्व अस्तित्व में आई योजनाओ के ले–आऊट प्लान में आवासीय क्षेत्रफल 75 प्रतिशत से कम होने पर जोन स्तरीय ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति को ऐसी योजनाओ के ले–आऊट प्लान अनुमोदन हेतु अधिकृत किया गया है। अतः समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि चूंकि राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा नम्बर 125 का भौतिक सर्वे करवाकर ले–आऊट प्लान तैयार किया जा चुका हैं, अतः उक्त ले–आऊट प्लान का जोन स्तरीय ले–आऊट प्लान समिति स्तर पर तकनीकी परीक्षण कर स्वीकृत कर तदानुसार पट्टा विलेख जारी किये जावे।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

21/5/12

निदेशक (आयोजना)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।

आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।

8

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

क्रमांक: F-37/Dir(P)/LOP/2012/ 553-561 दिनांक :- 25/5/12

ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 13.04.2012 के अनुमोदित कार्यवाही विवरण की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. श्री हरजीलाल अटल, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण
2. श्री जी.एस. रावल, निदेशक (अभि.), जोधपुर विकास प्राधिकरण
3. श्रीमती सीमा कविया, उपायुक्त (पूर्व),जोधपुर विकास प्राधिकरण
4. श्री महेन्द्र सिंह, उपायुक्त (पश्चिम), जोधपुर विकास प्राधिकरण
5. डॉ. शशि शर्मा, उपायुक्त (उत्तर), जोधपुर विकास प्राधिकरण
6. श्री भागीरथ बिश्नोई, उपायुक्त (दक्षिण), जोधपुर विकास प्राधिकरण
7. श्री रामलाल सियाग, अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण
8. श्री के.एल. चौहान, अधिशाषी अभियन्ता (दक्षिण), जो. वि. प्रा.
9. उप नगर नियोजक, जो. वि. प्रा.

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।

दिनांक 25.07.2007 को आयोजित ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति

की बैठक का एजेण्डा

1. **राजस्व ग्राम खोखरिया के खसरा नम्बर 93/1, 93/2 व 93/3 की रकबा 8 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।**
आवेदक :– श्री पन्नालाल, श्री नन्दकिशोर व श्रीमती शालू
प्रकरण संख्या :– 1292/12

उक्त प्रकरण में ले–आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले–आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंषा की गई है। प्रकरण के सम्बन्ध में उपायुक्त (उत्तर) एवं सहायक नगर नियोजक द्वारा तैयार की गई चैक लिस्ट सलंग्न है। उपरोक्त तथ्यो के कम में प्रकरण ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

2. **राजस्व ग्राम गुजरावास खुर्द के खसरा नम्बर 66/2 की रकबा 3 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।**
आवेदक :– श्रीमती पारादेवी, श्रीमती राधादेवी, श्री ओमाराम व श्री अशोक
प्रकरण संख्या :– 1408/2012

उक्त प्रकरण में ले–आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले–आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंषा की गई है। प्रकरण के सम्बन्ध में उपायुक्त (उत्तर) एवं सहायक नगर नियोजक द्वारा तैयार की गई चैक लिस्ट सलंग्न है। उपरोक्त तथ्यो के कम में प्रकरण ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

3. राजस्व ग्राम माणकलाव के खसरा नम्बर 123 व 123/5 की रकबा 30 बीघा भूमि का फार्महाऊस प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्री मांगीलाल व श्री बींजाराम
प्रकरण संख्या :– 1184/2012

उक्त प्रकरण में ले–आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले–आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंषा की गई है। प्रकरण के सम्बन्ध में उपायुक्त (उत्तर) एवं सहायक नगर नियोजक द्वारा तैयार की गई चैक लिस्ट सलंग्न है। उपरोक्त तथ्यो के कम में प्रकरण ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

4. राजस्व ग्राम दईजर के खसरा नम्बर 231 की रकबा 26 बीघा भूमि का फार्महाऊस प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्रीमती झमकु देवी पत्नि श्री बस्तीराम वगैराह
प्रकरण संख्या :– 07/2012

उक्त प्रकरण में ले–आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले–आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंषा की गई है। प्रकरण के सम्बन्ध में उपायुक्त (उत्तर) एवं सहायक नगर नियोजक द्वारा तैयार की गई चैक लिस्ट सलंग्न है। उपरोक्त तथ्यो के कम में प्रकरण ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

5. राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 365, 369 व 370 की रकबा 30 बीघा 11 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– मैसर्स राजलक्ष्मी इन्फ्राक्रियेशन प्राईवेट लिमिटेड।
प्रकरण संख्या :– 65/2011

उक्त प्रकरण में ले–आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले–आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंषा की गई है। प्रकरण के सम्बन्ध में उपायुक्त (दक्षिण) एवं सहायक नगर नियोजक द्वारा तैयार की गई चैक लिस्ट सलंग्न है। उपरोक्त तथ्यो के कम में प्रकरण ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

6. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 23 व 23/2 की रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्रीमति उर्मिला, श्री रामेश्वर वगैराह
प्रकरण संख्या :– 59/2011

उक्त प्रकरण में ले–आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले–आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंषा की गई है। प्रकरण के सम्बन्ध में उपायुक्त (दक्षिण) एवं सहायक नगर नियोजक द्वारा तैयार की गई चैक लिस्ट सलंग्न है। उपरोक्त तथ्यो के कम में प्रकरण ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

7. राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा नम्बर 21/5 की रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्री जयराम
प्रकरण संख्या :– 50/11

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 14.03.2012 में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि के पूर्वी भाग में दर्शित मास्टर प्लान में प्रस्तावित 200′ चौड़ी सडक के एलाईनमेन्ट के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिये जाने के उपरान्त उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जानी होगी। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.06.2012 में मास्टर प्लान में प्रस्तावित 200′ सड़क के एलाईनमेन्ट के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर इसके एलाईनमेन्ट परिवर्तन के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा समुचित निर्णय लेने के लिये अधिकृत किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि उक्त एलाईनमेन्ट परिवर्तन से आवेदित खसरान् की भूमि प्रभावित नही होती है। अतः पत्रावली पुनः ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

L

ले–आउट समिति की बैठक दिनांक 12.5.2011 में रखे जाने वाले प्रकरण

	जोन	प्रकरण संख्या	आवेदक का नाम	ग्राम	खसरा नं.	विवरण	क्षेत्रफल
1	पश्चिम	31/11	श्री शंकरराम पुत्र श्री किशनाराम मेघवाल	गंगाणा	186/2	मानचित्र अनुमोदन बाबत	7.00 बीघा
2	पश्चिम	21/10	मागीदेवी पत्नी श्री अणदाराम	डोली	682/1	मानचित्र अनुमोदन बाबत	1 बिघा 1 बिस्वा
3	पश्चिम	28/10	राजेन्द्र, महीपाल पुत्र श्री गंगाराम पटेल	डोली	680	मानचित्र अनुमोदन बाबत	1 बीघा 9 बिस्वा
4	पश्चिम	27/10	मांगीदेवी पत्नी श्री अणदाराम	डोली	681	मानचित्र अनुमोदन बाबत	1 बीघा 8 बिस्वा
5	पूर्व	225/2010	श्री भैराराम पुत्र श्री बस्ताराम conditional ok	नान्दडा खुर्द	101	ले आउट अनुमोदन हेतु	6 बीघा 2 बीस्वा
6	उत्तर (Rejected)	527/11	फुसाराम पुत्र श्री भूराराम	गुजरावास	189	ले आउट अनुमोदन हेतु	6 बीघा
7	उत्तर	463/2.2.2011	चेलाराम पुत्र श्री हीराराम DC to check	गुजरावास	168	ले आउट अनुमोदन हेतु	10 बीघा
8	उत्तर	236/10	श्रीमती पारादेवी पत्नी श्री कानाराम व अन्य ~~DC to check~~ conditional ok	गुजरावास खुर्द	66/2	ले आउट अनुमोदन हेतु	6 बीघा
9	उत्तर	470/11	थानाराम पुत्र श्री जेठाराम conditional ok	गुजरारावास खुर्द	66/1	ले आउट अनुमोदन हेतु	
10	उत्तर	80/2010	छेलाराम व देदाराम पुत्र श्री दुर्गाराम conditional ok (60%)	आगणवा	63, 63/1 व 243/63/1	ले आउट अनुमोदन हेतु	10 बीघा बिस्वा
11	उत्तर	464/2.2.2011	मोतीराम पुत्र श्री खुमाराम DC to check	गुजरावास	169/1	ले आउट अनुमोदन हेतु	05 बीघा
12	उत्तर	498/11	पप्पाराम पुत्र श्री गिरधारी राम conditional ok	चौपासनी चारणान	119/1	मानचित्र अनुमोदन बाबत	4 बीघा बिस्वा
13	उत्तर	499/11	अणदाराम पुत्र श्री रूपाराम conditional ok	चौपासनी चारणान	119/6	मानचित्र अनुमोदन बाबत	4 बीघा बिस्वा
14	दक्षिण	37/11 ok	श्री मांगीलाल पुत्र श्री भाणूराम मेघवाल	भाकरासनी	134	मानचित्र अनुमोदन हेतु	11.04 बी
15	दक्षिण	36/11 ok	श्री बालूराम पुत्र श्री मांगीलाल मेघवाल	भाकरासनी	134/1	मानचित्र अनुमोदन हेतु	2.10 बी

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

11.5.11

निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर